(ii) five years' experience in Communication or Wireless Technology in any Government organisation. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/62/2014-PT]

Senior Scientific Officer

RAMAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 164.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्,: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर-** पद संख्या, वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद हो या नहीं गैर-चयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	02* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500/ - रुपये)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताऐं**	**क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति** **चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)**

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	**यदि कोई विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि-करण पर विचार करने के लिए) मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है**	**भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): **केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के ऐसे अधिकारी, -** (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपये) के स्तर-9 या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु 47600-151100) या समकक्ष के स्तर-8 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों ; - (i) **आवश्यक:** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यायालयिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या विष-विज्ञान या जन्तु- विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नही हैं।

विज्ञान या न्यायालयिक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड (डीएनए) और सीरम विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; (ख) मान्यता प्राप्त अकादमिक संस्था या प्रशिक्षण संस्था या अकादमी या केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य सीरम विज्ञान प्रयोगशाला में न्यायालयिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या विष-विज्ञान या जन्तु- विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या न्यायालयिक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड (डीएनए)और सीरम विज्ञान में न्यूनतम पांच साल का शिक्षण या काम करने का अनुभव। (ii) **वांछनीय:-** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी । **टिप्पण 1-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह् य पद पर प्रतिनियुक्ति की भी अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-**प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फ़ा. सं. 23011/21/2020-पीटी]

रमण कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 9th November, 2023

G.S.R. 164.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Officer in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Senior Scientific Officer Group 'A' post Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules after consultation with the Union Public Service Commission with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Scientific Officer	2* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level -10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment** **Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or the State Government or the Union territory administration or an autonomous body or a statutory organisation or a public sector undertaking or a recognised University or Institute, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service render after appointment thereto to the post on a regular basis in level-9 (Rs 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years' regular service render after appointment thereto to the post on a regular basis in level- 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience - **(i) Essential:** (A) Masters Degree in Forensic Science or Physics or Chemistry or Toxicology or Zoology or Botany or Bio-chemistry or Biology or Microbiology or Forensic Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) and Serology from a recognised University or Institute; and	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(B) Minimum five years' teaching or working experience in Forensic Science or Physics or Chemistry or Toxicology or Zoology or Botany or Bio- Chemistry or Biology or Microbiology or Forensic Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) and Serology in a recognised academic institution or training institution or academy or central forensic science laboratory or State forensic science laboratory. **(ii) Desirable**- Doctor of Philosophy in the relevant subject from a recognised University or Institute. **Note 1-** The period of deputation including the short term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2-**The maximum age-limit for appointment by deputation including short term contract shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/21/2020-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पशु चिकित्सा अधिकारी (समूह 'क ' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।